संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुडा भवन मध्यप्रदेश

क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/2014/764 भोपाल,दिनांक 31/7/2014

//संशोधित आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के पदोन्नति आदेश कमांक 9/नर्सिंग/सेल1/2014/191 दिनांक 3.03.14 के द्वारा प्रदेश में कार्यरत् निम्नलिखित स्टाफ नर्स से नर्सिंग सिस्टर/हाउसकीपर के पद पर (5 वॉ विद्यमान वेतनमान 4500–7000) पुनरीक्षित 6वॉ वेलनमान, वेतन बैंड पी.बी. 1 रूपयें 5200 – 20200 + ग्रेड पे 2800 में पदोन्नति प्रदान की गई थी। इनके पदोन्नति स्थान में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है शेष शर्ते यथावत रहेगी।

क्र.	कर्मचारी का नाम	जाति	वर्तमान पदस्थापना स्थल	पूर्व में दिया गया पदोन्नति स्थल	नवीन पदस्थापना स्थान
1	श्रीमति उर्मिला शाह	सामान्य	जिला चिकि. जबलपुर	जिला चिकि. छतरपुर	सिविल अस्प. सीहोरा
2	सुश्री सरस्वती खोबरागढे	अ.जा.	जिला चिकि. मंडला	जिला चिकि. सतना	जिला चिकि. सिवनी
3	श्रीमति रानूबालादास	सामान्य	सिविल अस्प. मैहर	सी.एस.सतना	सिविल अस्प. मैहर
4	कु. वायला फ्रेंक	सामान्य	सिविल अस्प. बैतूल	जे.एस.आर. ईटारसी	जिला चिकि. बैतूल
5	श्रीमति मुन्नी रघुवंशी	अ.जा.	करेली नरसिंहपुर	नौ गांव छतरपुर	जिला चिकि. नरसिंहपुर
6	श्रीमति सोफी पामर	सामान्य	जिला चिकि. जबलपुर	जिला चिकि. उमरिया	लेडी एल्गिन चिकि. जबलपुर
7	श्रीमति कमला व्यास	अ.ज.जा.	जिला.चिकि. झाबुआ	सिविल अस्प. डबरा ग्वालियर	जिला चिकि. झाबुआ
8	श्रीमति लीला राजुरकर	अ.ज.जा.	सिविल अस्प. बैतूल	सी.एस.हरदा	सी.एम.ओ. बैतूल
9	शकुन्तला पटोले	अ.जा.	जिला चिकि. खंडवा	जिला चिकि. रतलाम	जिला चिकि. खंडवा

स्वास्थ्य आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित।

31/7/14

संयुक्त संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर ....

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/2014/765 भोपाल, दिनांक31/7/2014

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर/इंदौर/भोपाल/रीवा/सागर/उज्जैन मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला झाबुआ/नरसिंहपुर/मंडला/उमरिया/सतना/होशंगाबाद/बैतूल/हरदा/सिवनी/जबलपुर/छतरपुर/पन्ना/ग्वालियर/खंडवा/रतलाम म.प्र. को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पदो की स्थिति स्पष्ट होने पर ही संबंधित कर्मचारी को पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करावें।
4. श्री पी.सी. थामस प्रभारी एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को बेवसाईड पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि आप शीघ्र कार्यमुक्त होकर पदोन्नति स्थल पर 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति रिपोर्ट की एक प्रति संयुक्त संचालक (नर्सिंग) को भेजें।
6. आदेश नस्ति।

31/7/14

संयुक्त संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश